

सराहनीय कार्य जनपद बस्ती दिनांक 24.07.2022

थाना पुरानी बस्ती पुलिस व SOG टीम बस्ती द्वारा अन्तर्राज्यीय मूर्तियों की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्यों को दो अदद तमन्चा व दो अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर चोरी की बहुमूल्य एवं प्राचीन मूर्तियों को बरामद किया गया ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री आलोक प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में थाना पुरानी बस्ती पुलिस व SOG टीम बस्ती द्वारा आज दिनांक 24.07.2022 को समय करीब 02:15 बजे पूर्वी रेलवे क्रासिंग के पास कड़र मंदिर जाने वाले तिराहे से 1 वर्ष पूर्व थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर थाना क्षेत्र के मन्दिरों से की गई चोरी की मूर्तियों के साथ अन्तर्राज्यीय मूर्तियों की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 सदस्यों को 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर एवं 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर चोरी की बहुमूल्य एवं प्राचीन मूर्तियों को बरामद किया गया ।

पुलिस टीम के द्वारा मूर्तियों की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी व बरामदगी से आमजन द्वारा बस्ती पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा की जा रही है एवं सम्पूर्ण पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक बस्ती महोदय द्वारा प्रोत्साहन हेतु रुपये 25,000/- के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण-

1. मु0अ0सं0 232/2022 धारा 401/411 भा0द0वि0 थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती ।
2. मु0अ0सं0 233/2022 धारा 3/25 Arms ACT थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती ।

3. मु0अ0सं0 234/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती ।
4. मु0अ0सं0 235/2022 धारा 4/25A ACT थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती ।
5. मु0अ0सं0 236/2022 धारा 4/25A ACT थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. चन्द्रमणि पासवान पुत्र रामजी पासवान निवासी दरघाट थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर (उ0प्र0) उम्र करीब 24 वर्ष ।
2. आनन्द पाठक पुत्र कैलाशनाथ पाठक निवासी ग्राम खिरिया थाना महुली जनपद संतकबीर नगर (उ0प्र0) उम्र करीब 32 वर्ष ।
3. जनमेजय सिंह वर्मा उर्फ राजीव पुत्र कृष्णचन्द्र वर्मा निवासी देवापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर (उ0प्र0) उम्र करीब 33 वर्ष ।
4. सूरज वर्मा पुत्र बच्चन वर्मा निवासी भुवापुर थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर (उ0प्र0) उम्र करीब 26 वर्ष ।

घटना/पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग बगल के गांव मे चोरी करने की योजना बना रहे थे कि आप लोगों द्वारा हम सभी पकड़ लिये गये । हम लोगों के पास जो औजार व हथियार आप लोगों को मिले है उनका प्रयोग हम चोरी करने हेतु ताला व शटर तोड़ने में करते है तथा गदा के संबंध मे पूछने पर बताये कि गदा पीतल का है जिसे श्रीराधा पीठ गिरधर पुर देवरहा बाबा जनपद संतकबीर नगर के मंदिर से अपने अन्य साथियों के साथ मिल कर चुराये थे, जिसके सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर के सरकारी नं0 सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र मे स्थित श्रीराधा पीठ गिरधर पुर देवरहा बाबा मंदिर से जुलाई 2021 मे पीठ पर से सिंहासन का छत, दण्ड चवर, दोनों पादुका की चौकी व श्रीनारायण व हनुमान जी की बड़ी मुर्ति तथा राम दरबार व अन्य पूजा की सामग्री पात्र अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया था जिसके संबंध में दिनांक 25/07/2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 509/2021 धारा 457/380 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था । प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद से प्राप्त जानकारी के उपरान्त गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया गया कि हम चारों व हमारे अन्य 03

साथी **1.** विपुल राय पुत्र विनोद राय निवासी बिदयानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर **2.** गोलू राय पुत्र अज्ञात निवासी बिदयानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर **3.** सूरज राय पुत्र अज्ञात निवासी बैडरवा थाना महुली जनपद संतकबीर नगर के साथ मिलकर चुराये थे जिनमें से कुछ सामानों को बेचकर अपना खर्चा चला रहे थे एवं शेष सामान को बेचने के लिये चैनपुरवा पुल अण्डर पास के पास हाइवे के किनारे एक गड्ढे व झाड़ियों में छुपाकर रखे हैं जिसे आज हम लोग चोरी करने के बाद जो सामान पाते उसके साथ ले जाकर शेष तीन साथियों के साथ कहीं बेचकर प्राप्त पैसों को आपस में बाट लेते कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिये गये ।

गिरफ्तार अभियुक्त आनन्द पाठक का आपराधिक इतिहास-

- 1.** मु0अ0सं0 232/2022 धारा 401/411 भा0द0वि0 थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती ।
- 2.** मु0अ0सं0 235/2022 धारा 4/25 Arms Act थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती ।
- 3.** मु0अ0सं0 509/2021 धारा 457/380/411 IPC थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 4.** मु0अ0सं0 26/2021 धारा 323/328/366/376/377/504/506 IPC थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर ।
- 6.** मु0अ0सं0 272/18 धारा 323/325/504/506 IPC थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 7.** मु0अ0सं0 29/2010 धारा 307,392,411 IPC थाना हरपुरबुदहट जनपद गोरखपुर ।

गिरफ्तार अभियुक्त जनमेजय सिंह का आपराधिक इतिहास-

- 1.** मु0अ0सं0 232/2022 धारा 401/411 भा0द0वि0 थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती ।
- 2.** मु0अ0सं0 234/2022 धारा 3/25 Arms Act थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती ।
- 3.** मु0अ0सं0 509/2021 धारा 457/380 IPC थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 4.** मु0अ0सं0 358/2020 धारा 352/406/504/506 IPC थाना कोतवाली जनपद बस्ती ।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद श्री नारायण की बड़ी मूर्ति ।
2. एक अदद श्री हुनमान की बड़ी मूर्ति ।
3. एक अदद श्रीराम दरबार व एक अदद गदा ।
4. एक अदद पादुका की चौकी का नक्काशीदार चद्दर लगा हुआ व आधा टुकड़ा बर्तन, पीले व सफेद धातु।
5. एक अदद तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर ।
6. एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
7. दो अदद चाकू नाजायज, एक अदद हथौड़ी, एक अदद पेचकस, एक अदद लोहे का रॉड व एक अदद प्लास्टिक का टार्च ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव जनपद बस्ती ।
2. प्रभारी SOG टीम उ0नि0 श्री उमेश चन्द्र वर्मा जनपद बस्ती ।
3. प्रभारी चौकी दक्षिण दरवाजा उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती ।
4. उ0नि0 श्री रमेश यादव थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती ।
5. हे0का0 मिथुन कुमार, हे0का0 रामसिंगार, का0 नरेन्द्र प्रजापति, का0 सत्येन्द्र कुमार थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती ।
6. हे0का0 विजय प्रकाश दीक्षित, हे0का0 दिलीप कुमार, का0 अभिषेक तिवारी, का0 अजय यादव, का0 विजय SOG टीम जनपद बस्ती ।

